

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर, वर्ष 22, अंक - 344 - शुक्रवार 16- अक्टूबर 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये RNI Reg.No.-CHHHN/2004/15050, डाक पंजीकरण. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पीएम मोदी दिल्ली में एशियन गेम्स मेडलिस्ट से मिले कहा-महिला हॉकी में 44 साल का इंतजार खत्म हुआ, इनकी सफलता, देश की सफलता



नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 के मेडलिस्ट खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी ने गोल्ड मेडल जीतकर 44 साल का इंतजार खत्म किया है। खिलाड़ियों की सफलता देश की सफलता है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी शामिल रहीं। आइची-नागोया में हुए एशियाई खेलों में भारत ने कुल 85 पदक जीते। इनमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।

खिलाड़ियों से मिलकर ऊर्जा मिलती है...

पीएम मोदी ने कहा कि मेडल विजेता खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें भी ऊर्जा मिलती है। खिलाड़ियों का जुनून जब जीत में बदलता है, तो उनके चेहरे के साथ पूरे देश का गौरव भी बढ़ता है।

पूरे देश का गौरव बढ़ता है...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों के बीच आकर उन्हें भी ऊर्जा मिलती है। एक साथ इतने सारे मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मिलना अपने आप में खास अनुभव है। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों ने दिखाया है कि जब जुनून जीत में बदलता है, तो सिर्फ मेडल ही नहीं मिलते, बल्कि चेहरे पर भी चमक आती है। इससे पूरे देश का गौरव बढ़ता है।

युवा खुद अपनी राह बना रहे...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एशियन गेम्स में भारत की सफलता देश की बदलती सोच को भी दिखाती है। यह इस बात का उदाहरण है कि आज देश के युवा हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं।

काँकरोच पार्टी-आईसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, कुछ लोगों ने नारेबाजी की

दीपके बोले...ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए तिरंगा फहराना भी अपराध बनाया

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2026। काँकरोच जनता पार्टी और छत्र संगठन आईसा की दिल्ली में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हुआ। नेहा बोरा के बोलना शुरू करते ही वहां मौजूद कुछ लोग 'बंद करो' के नारे लगाने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और एक्टर प्रकाश राज भी शामिल हुए। दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- सरकार ने ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए तिरंगा फहराने को भी अपराध बना दिया है। आशुतोष रांका और सौरव दास जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने गए थे, लेकिन उन्हें भी जेल भेज दिया गया। आखिर सरकार ज्ञानेश कुमार को क्यों बचा रही है। वहीं नेहा बोरा ने कहा- लोगों को हिरासत में लेने से, मारपीट करने से आंदोलन नहीं रुकेगा। सीजेपी और अन्य संगठनों ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वे एसआईआर रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को मांग कर रहे हैं।

प्रकाश राज बोले...ज्ञानेश कुमार को मोदी-शाह ने हिरासत में रखा है : प्रकाश राज ने कहा- कल अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बचा रहे हैं। घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी अमित शाह और सरकार की है,



काँकरोच पार्टी-आईसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बयान

- **अभिजीत दीपके :** तिरंगा फहराने को भी कानून का उल्लंघन माना गया। किसके लिए? ज्ञानेश कुमार के लिए। सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले रही है।
- **नेहा बोरा :** हिरासत में लेने और मारपीट करने से आंदोलन नहीं रुकेगा। हमारा आंदोलन किसी एक झंडे, पार्टी या व्यक्ति का नहीं है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक यह आंदोलन जिंदा है।
- **प्रकाश राज :** जो बचपन में मगरमच्छ से नहीं डरा, वह आज काँकरोच से डर गया। सरकार ने हमें जंतर-मंतर से झूठंतर करने की कोशिश की, लेकिन हमने पूरे देश को जंतर-मंतर बनाने का फैसला किया है। हम देश के हर जिले और गांव को जंतर-मंतर बना देंगे।
- **प्रशांत भूषण :** सरकार की बर्बरता जारी रही, तो सत्ता बदलनी होगी। भाजपा ने भी बार-बार आंदोलन करके सरकार बदली है। सरकार के खिलाफ विरोध करना कोई अपराध नहीं है। इस देश में तानाशाह सरकार नहीं चल सकती।

नेहा बोरा बोलीं...देश के कानूनों में अंतिम है यह लड़ाई

नेहा बोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा...यह लड़ाई भारत के आम और गरीब परिवारों में जिंदा है। देश के अलग-अलग कोनों में, फ्रीडम पार्क, दिल्ली के जंतर-मंतर और मुंबई के शिवाजी पार्क में यह लड़ाई जारी है।

दीपके बोले...ज्ञानेश कुमार के लिए पूरी दिल्ली बंद कर दी

अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने को कानून का उल्लंघन बताया गया। सरकार ने पूरी दिल्ली बंद कर दी। दिल्ली को भारत-पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया गया है। उन्होंने सावत उठाया कि ज्ञानेश कुमार के लिए सरकार इतना कुछ क्यों कर रही है।

चुनाव आयोग की नहीं। ज्ञानेश कुमार को मोदी-शाह ने अवैध रूप से हिरासत में लिया है। उन्हें रिहा कीजिए, वे हमारे प्रादम विटनेस हैं। उन्हें जनता के सामने रिहा किया जाए। प्रकाश राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी। इन कहानियों का मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो बचपन में क्रोकोडाइल से नहीं डरा, वह आज काँकरोच से डर गया। कल देश के 200 संगठन एकजुट हो रहे हैं। सरकार ने हमें जंतर-मंतर से झूठंतर करने की कोशिश की।

विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग का फैसला

यूपी-पंजाब समेत 17 राज्यों में अपडेट होगी वोटर लिस्ट

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2026। चुनाव आयोग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लेटर भेजा है। चुनाव आयोग के मुताबिक, एसएसआर के तहत वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े जाएंगे और पहले से दर्ज जानकारी में गलतियां सुधारी जाएंगी। 2027 में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह आदेश स्पेशल इंटीसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर विवाद और विरोध के बीच आया है। एसआईआर के दौरान 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए थे। आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां एसएसआर का शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा।

एसआईआर में नाम कटे लोग भी जुड़वा सकते हैं : चुनाव आयोग की एसएसआर से जुड़ी प्रेस रिलीज में इसका जिक्र



नहीं है। हालांकि, एसआईआर में जिन लोगों के नाम कट गए या छूट गए थे, उन्हें फॉर्म- 6 भेजा होगा। नाम तभी जुड़ेगा, जब संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी पात्रता की जांच कर आवेदन स्वीकार करेगा।

12 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट : चुनाव आयोग ने एसएसआर के लिए तारीखें तय की हैं। इसके तहत 2 नवंबर 2026 तक मतदान केंद्रों की व्यवस्था में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इसके बाद 12 नवंबर को वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट कॉपी जारी होगी। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम या जानकारी को लेकर 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को वोटर लिस्ट की अंतिम सूची जारी होगी।

यूपी समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव : उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांचों राज्यों में एसएसआर कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों वाली विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को खत्म होगा। मणिपुर की 60, गोवा की 40, पंजाब की 117 और उत्तराखंड की 70 सीटों वाली विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत चुनाव आयोग विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले भी चुनाव करा सकता है।

मतदान केंद्रों की व्यवस्था भी सुधारी जाएगी : चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या और उनकी जगह की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य तौर पर एक मतदान केंद्र पर 1,200 से ज्यादा मतदाता नहीं होने चाहिए। जरूरत पड़ने पर नए मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं। अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े।

राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी...कहा...

आतंकी हमला हुआ तो पहले से कड़ा जवाब देगा भारत

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत का रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी अगली आतंकी घटना का जवाब पहले से भी अधिक कड़ा होगा। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा संवाद, सह-अस्तित्व और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करती है, लेकिन शांति की प्रतिबद्धता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालकोट हवाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य अभियान नहीं थे। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में निर्णायक बदलाव के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल कूटनीतिक विरोध जताने तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद के स्रोत तक पहुंचकर उसे खत्म करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है।

शांति के लिए ताकत और तैयारी जरूरी

रक्षा मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से ज्यादातर आतंकियों की सक्रियता की अवधि घटकर एक साल से भी कम रह गई है। उनके मुताबिक, भारत के खिलाफ हथियार उठा देने के एक साल के भीतर सुरक्षा बल ऐसे आतंकियों को मार गिरा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए ताकत और क्षमता जरूरी है। भारत शांति



डिजिटल दौर में सुरक्षा के नए खतरे

बदलते सुरक्षा परिदृश्य का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने हाइब्रिड, हाईटेक और अत्यधिक तीव्र युद्ध के दौर में सतर्कता और तैयारी बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने डिजिटल युग में सुरक्षा चुनौतियों के बढ़ते जटिल स्वरूप पर भी चर्चा की। उन्होंने सुरक्षा के लिए पांच तरह के खतरों का जिक्र किया। इनमें गलत सूचना फैलाना, अस्थिरता पैदा करना, कामकाज में बाधा डालना, धोखा देना और विनाश करना शामिल हैं। उन्होंने इन्हें अंग्रेजी में डिस्इम्फोर्मेशन, डेस्टैबिलाइजेशन, डिसर्रेशन, डिसेप्शन और डिस्ट्रक्शन के रूप में बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद अब केवल संगठित समूहों तक सीमित नहीं है। अकेले हमला करने वाले कट्टरपंथियों और तथाकथित 'व्हाइट कॉलर आतंकवाद' से भी खतरे बढ़ रहे हैं।

सह-पायलट की घटना का किया जिक्र

रक्षा मंत्री ने उस हालिया घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें एक सह-पायलट पर यात्री विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश करने का आरोप है। उन्होंने कैप्टन स्मित माछ का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बड़े आतंकी हमले को टालने में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह घटना अकेले हमला करने वाले लोगों से पैदा होने वाले खतरे को दिखाती है। साथ ही, यह भी बताती है कि किसी व्यक्ति की सतर्कता और साहस नफरत से प्रेरित लोगों की साजिश को नाकाम कर सकता है।

चाहता है, लेकिन देश की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर युद्ध का सामना करने को भी तैयार है। उन्होंने कहा, 'शांति के

मोदी बोले...लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़

पीएम मोदी ने कहा- आज लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। मुझे खुशी है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका हिस्सा बन रहा हूं। आज जिन परियोजनाओं से कई लोगों को सुविधा होगी।

40 गांवों में बने 40 जलाशय, किसानों को मिलेगा फायदा

प्रोजेक्ट अमृत हिम सरोवर के तहत लद्दाख के 40 गांवों में 40 जलाशय बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य पानी जमा करके जरूरत के समय इस्तेमाल करना है। लद्दाख में बर्फ पिघलने से कुछ समय पर्याप्त पानी मिलता है, लेकिन खेती के लिए जरूरी बुवाई के दौरान इसकी कमी हो जाती है। जलाशयों में पानी जमा होने से किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी और उनकी आजीविका को सहारा मिलेगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक, ये परियोजनाएं क्षेत्र के विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद करेंगी।

फिल्म अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए पुलिस ने जारी किया नोटिस

मुंबई, 15 अक्टूबर 2026। फिल्म अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस की ओर से आंदोलन में शामिल होने पर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी की गई है। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को यह कार्रवाई मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद की गई है। इमरान खान बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. किरीट सोमैया ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं। उनका जन्म 13 जनवरी 1983 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मेडिसन शहर में हुआ था। उनके पास अमेरिकी नागरिकता और अमेरिकी पासपोर्ट होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड भी है। ओसीआई कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं देता। इसके धारकों को भारत में रहने और आने-जाने समेत कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकों के सभी संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को देश में रहने का आजीवन वीजा मिलता है, लेकिन न तो वे वोट कर सकते हैं और न ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं। आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांति पूर्ण सभा सिर्फ भारत के नागरिक ही कर सकते हैं। विदेशी नागरिकों को देश में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार नहीं है। इमरान खान ने काँकरोच जनता पार्टी के मुंबई स्थित आगस्ट क्रांति मैदान में आयोजित प्रदर्शन में भाग लिया था। इसके बाद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। सोमैया ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने इस मामले की शिकायत मुंबई पुलिस से की थी और इसी शिकायत के आधार पर आज मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 को भारत छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया है।



CMYK

इधर, महाविद्यालय में दिसंबर 2026 की सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन 17 नवंबर से 23 दिसंबर तक किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। महाविद्यालय प्रबंधन के अनुसार, परीक्षाओं से पहले आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं समय पर आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को एक सप्ताह का सेमेस्टर अवकाश मिल सके। इसके साथ ही अगले सेमेस्टर की कक्षाएं 1 जनवरी 2027 से शुरू करने की योजना है। महाविद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे परीक्षा में शामिल होने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उदयपुर क्षेत्र में बैडमिंटन के प्रति खिलाड़ियों का उत्साह है। ऐसे में आधुनिक इनडोर स्टेडियम बनने से मौजूदा खिलाड़ियों के साथ नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों को उम्मीद है कि शासन-प्रशासन उनकी मांग पर पहल करेगा, ताकि क्षेत्र की प्रतिभाएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

सरगुजा सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बैगा, गुनिया और देवार समुदाय के लोग पारंपरिक पूजा-पाठ एवं झाड़-फूंक के दौरान मां महामाया और चंद्रहासिनी देवी के साथ माता नाथल दाई का भी आह्वान करते हैं। नवरात्रि के इस पानच अवसर पर नाथल दाई धाम में हो रही पूजा-अर्चना धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सद्भाव, आपसी सम्मान और भाईचारे के महत्व को भी रेखांकित कर रही है। आयोजन में ग्रामवासी, नाथल दाई सहित के सदस्य एवं पदाधिकारी तथा पकारागण उपस्थित रहे।

प्रदेश में पहचान से गुणवत्ता पर सवाल तक : नवापरा का यह स्वास्थ्य केंद्र पहले कायाकल्प योजना में प्रदेश स्तर पर पहचान बना चुका है। ऐसे में मौजूदा निरीक्षण में सामने आई कमियां अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत को रेखांकित करती हैं। अब देखना होगा कि निर्धारित समय में कमियां दूर कर अस्पताल दोबारा अपेसमेंट में गुणवत्ता मानकों पर कितना खरा उतरता है।

गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोधनपुर में काम करते वक़्त करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर अग्नियार्थ कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लोसगा का विमल बड़ा पिता बाबूलाल बड़ा 30 वर्ष बुधवार को आंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोधनपुर में दीपक सिंह के यहां ढलाई का काम करने गया था। यहां घर के आंगन में रखे मिक्सर मशीन में ढलाई के लिए सामग्री डालते समय उसे अचानक करंट का झटका लगा और वह जमीन पर गिर गया। जमीन से उठकर वह मिक्सर मशीन में कटते आने की जानकारी अन्य काम कर रहे मजदूरों को दिया और पुनः जमीन पर गिरकर अचेत हो गया। बाद में पता चला कि चेरूल सर्विस लाइन के संपर्क में मशीन आ गया था, जिस कारण वह करंट की चपेट में आ गया था। आननफानन में मकान स्वामी व अन्य लोगों के सहयोग से मजदूर को होलीक्रॉस अस्पताल लाया गया, यहां बुधवार की शाम को ही जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक के परिजन ने घटना की जानकारी गांधीनगर थाने में दी है, जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम करके मृतक के शव का मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पताल में पोस्टमॉर्टम कराया है।

विभागीय टीम नहर के सेंटर प्वाइंट से दोनों ओर 10-10 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माणों को हटा रही है। अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमित जमीन की नाप-जोख के बाद कारवाई की जा रही है। इस दौरान कुछ स्थानों पर विरोध और विवाद की स्थिति भी बन गई, लेकिन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कारवाई जारी रखी। श्रीगढ़ क्षेत्र में तीन मंजिला मकान गया। तुलसी अग्रवाल साढ़े 12 डिबाल जल रजिस्ट्री भी उनके पास

जानकारी के अनुसार
रायगढ़ रोड निवासी प्री
ब्रजली विभाग में ठेकेत
काम करता है। बिजल
का कार्य करने के
2024 में उसका परिच
भादि कार्य के
नीएसपीडीसीएल कार्य
में पदस्थ सहायक

इसके बाद 16 लाख रुपये में मकान का सौदा हुआ और पूरी रकम सहायक अभियंता ने प्राप्त कर ली। रुपये देने के बाद रजिस्ट्री की बारी आई तो इंतजार की स्थिति बनने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक, सहायक अभियंता रूपजेंद्र कोरगा का स्थानांतरण रायपुर हो गया, जहाँ वह काश्मालन अभियंता के पद पर पदस्थ हो गई।

सीमांकन के आधार पर कार्रवाई का दावा : सिंचाई विभाग के एसडीओ ने बताया कि माइनर नहर की जमीन पर मकान और बड़ी इमारतें बवाई गई हैं। नाप-जोख के बाद नहर के सेंटर प्वाइंट से दोनों ओर 10-10 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी अतिक्रमणकारी के साथ गलत नहीं किया जा रहा है और चिह्नित निर्माणों को हटाने की कार्रवाई आज ही जारी रहेगी।



जामपारा से बड़गांव समिति तक ‘प्रभार’ का खेल! दूसरे समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रबंधकीय जिम्मेदारी क्यों?

नई समिति बनी,प्रबंधक नहीं मिला! कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे बड़गांव की कमान

समिति का पुनर्गठन,कर्मचारियों की पदस्थापना पर सवाल.जामपारा के बजाय छिंदडांड के ऑपरेटर पर भरोसा क्यों?

सहकारी समितियों में प्रभार और पदस्थापना पर उठे सवाल, कथित वसूली के आरोपों की जांच की मांग...

13 अक्टूबर के आदेश ने खोले सवाल: बड़गांव समिति में छिंदडांड के कंप्यूटर ऑपरेटर को मिली प्रबंधकीय जिम्मेदारी

जामपारा के कर्मचारियों को दरकिनार क्यों? बड़गांव समिति में वाहरी कर्मचारी को प्रबंधकीय जिम्मेदारी

13 अक्टूबर के आदेश से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप कुमार को अस्थायी प्रबंधकीय जिम्मेदारी

पुनर्न कर्मचारियों की स्थिति,पवन के आधार और कथित वसूली के आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग

बैकुंठपुर/कोरिया, 15 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सहकारी समितियों के पुनर्गठन और नई समितियों के गठन का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाना तथा किसानों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है, लेकिन जब किसी पुरानी समिति से नई समिति का गठन होता है और वहां प्रबंधकीय कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी उसी प्रभावित समिति के कर्मचारियों के बजाय किसी दूसरी समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप दी जाती है, तो स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े होते हैं, कोरिया जिले में जामपारा समिति के पुनर्गठन के बाद गठित बड़गांव समिति को लेकर ऐसा ही मामला सामने आया है,सहायक आयुक्त सहकारिता कार्यालय,

आदेश में क्या लिखा है?

सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैकुंठपुर, जिला कोरिया के कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक /सरख/2026/511, दिनांक 13 अक्टूबर 2026 के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/एफ-15-11/15-02/2025/30/1068, दिनांक 2 अप्रैल 2025 के तहत प्रारंभिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित जामपारा के पुनर्गठन के पश्चात आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बड़गांव, पंजीयन क्रमांक 343 का गठन किया गया है, आदेश में कहा गया है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप तथा समिति स्तर पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के उद्देश्य से आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित छिंदडांड के कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप कुमार को उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त नवगठित समिति बड़गांव में प्रबंधकीय कार्यों के संपादन के लिए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है। आदेश को तत्काल प्रभावशील बताया गया है, यानी दस्तावेज यह स्पष्ट करता है कि बड़गांव समिति में प्रबंधकीय कार्य संचालन के लिए छिंदडांड समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जामपारा समिति के पुराने कर्मचारियों की स्थिति क्या है, उन्हें नई समिति में समायोजित करने पर विचार हुआ या नहीं, अथवा प्रदीप कुमार को इस जिम्मेदारी के लिए चुनने का आधार क्या रहा, यही वे बिंदु हैं जिन पर विभाग से तथ्यात्मक स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

बैकुंठपुर से 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश ने इस सवाल को जन्म दिया है कि क्या जामपारा समिति में पहले से कार्यरत सहायक, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर या अन्य कर्मचारियों में नई समिति का प्रबंधकीय कार्य सभालने की क्षमता नहीं थी,अथवा विभाग ने किसी दूसरी समिति के कर्मचारी को अस्थायी रूप से जिम्मेदारी सौंपना अधिक उचित समझा?

पुरानी समिति के कर्मचारियों का क्या होगा?—किसी समिति के पुनर्गठन अथवा विभाजन के बाद कर्मचारियों की पदस्थापना और कार्य-विभाजन महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषय होते हैं, यदि जामपारा समिति से बड़गांव समिति का गठन हुआ है, तो यह जानना जरूरी है कि पुरानी समिति में पदस्थ कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, उनके पद कौन-कौन से थे, उनकी सेवा स्थिति क्या है और नई समिति में उनकी आवश्यकता का आकलन किस आधार पर किया गया, यदि पुरानी समिति में सहायक, लिपिक,कंप्यूटर ऑपरेटर अथवा प्रबंधकीय कार्यों का अनुभव रखने वाले कर्मचारी उपलब्ध थे,तो क्या उन्हें नई समिति में कार्य करने का अवसर देने पर विचार किया गया?

यदि किया गया,तो उसका अभिलेख कहाँ है? और यदि किसी कर्मचारी को इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं पाया गया,तो क्या इसका कोई लिखित मूल्यांकन या आदेश जारी किया गया? इन प्रश्नों का उत्तर संबंधित सेवा अभिलेखों, स्वीकृत पदों,विभागीय निर्देशों और पदस्थापना संबंधी आदेशों से ही मिल सकता है,केवल इस आधार पर कि किसी अन्य समिति के कर्मचारी को जिम्मेदारी दी गई है,यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पुरानी समिति के कर्मचारी अयोग्य हैं,लेकिन विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि चयन की प्रशासनिक आवश्यकता और प्रक्रिया क्या थी।

कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रबंधकीय जिम्मेदारी देने का आधार क्या?—प्रदीप कुमार को आदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर बताया गया है और उन्हें बड़गांव समिति में प्रबंधकीय कार्यों के संपादन के लिए अस्थायी रूप से अधिकृत किया गया है,ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यहां 'प्रबंधकीय कार्य' से विभाग का आशय क्या है? क्या उन्हें केवल समिति के प्रारंभिक संचालन,रिकॉर्ड तैयार करने और कार्यालयीन व्यवस्थाओं तक सीमित

जिम्मेदारी दी गई है,या समिति प्रबंधक के नियमित दायित्वों का निर्वहन भी उनसे कराया जाना है? क्या उनके पास इन कार्यों के लिए निर्धारित योग्यता,अनुभव और आवश्यक प्रशासनिक अधिकार हैं? क्या आदेश के साथ जिम्मेदारियों की सीमा तय की गई है? कंप्यूटर ऑपरेटर का पद और समिति प्रबंधक का पद अपने आप में एक समान नहीं माने जा सकते, हालांकि किसी कर्मचारी को अतिरिक्त कार्य सौंपना अपने आप में गलत नहीं है, इसकी वैधता संबंधित नियमों,विभागीय आदेशों, कर्मचारी की योग्यता और सौंपे गए अधिकारों पर निर्भर करेगी,इसलिए इस मामले में यह देखना आवश्यक है कि प्रदीप कुमार को किस नियम या प्रशासनिक प्रावधान के तहत अधिकृत किया गया और उनके अधिकारों की सीमा क्या निर्धारित की गई,यदि यह केवल नई समिति की शुरुआती व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए अस्थायी व्यवस्था है,तो विभाग को इसकी अवधि, दायित्व और आगे की नियुक्ति अथवा पदस्थापना की प्रक्रिया स्पष्ट करनी चाहिए, यदि नियमित समिति प्रबंधक की अनुपस्थिति में यह व्यवस्था की गई है,तो यह भी बताया जाना चाहिए कि नियमित पद की पूर्ति कब और किस प्रक्रिया से होगी।

क्या प्रभावित समिति के प्रबंधक को ही मिलनी चाहिए थी जिम्मेदारी?—इस मामले में एक प्रशासनिक विकल्प पर भी चर्चा जरूरी है, नई समिति यदि किसी पुरानी समिति के पुनर्गठन या विभाजन से अस्तित्व में आई है, तो क्या पुराने अथवा प्रभावित समिति के प्रबंधक को ही नई समिति में अस्थायी रूप से प्रभार दिया जा सकता था? क्या संबंधित कर्मचारी की उपलब्धता,अनुभव और सेवा नियमों की समीक्षा की गई? यह प्रश्न किसी एक कर्मचारी के पक्ष या विपक्ष में नहीं,बल्कि विभागीय व्यवस्था की पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण है,यदि समान योग्यता और अनुभव वाले कर्मचारी पहले से उपलब्ध थे, तो दूसरे संस्थान से कर्मचारी लाने की आवश्यकता का कारण दर्ज होना चाहिए, वहीं यदि पुरानी समिति के कर्मचारियों को नई समिति में समायोजित करना संभव नहीं था,तो उसका नियमसममत

आधार भी सामने आना चाहिए,प्रशासनिक निर्णयों में केवल आदेश जारी कर देना पर्याप्त नहीं होता। निर्णय के पीछे की आवश्यकता, प्रक्रिया और नियमों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

लाखों रुपये की कथित वसूली के आरोप, प्रमाणों की जांच जरूरी—सहकारिता विभाग में नई समितियों के गठन के बाद कर्मचारियों की पदस्थापना और प्रबंधकीय जिम्मेदारियां सौंपने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं,आरोप है कि संभाग की विभिन्न समितियों में कर्मचारियों के स्थानांतरण,पदस्थापना और प्रभारी समिति प्रबंधक बनाए जाने के नाम पर कथित तौर पर लाखों रुपये की वसूली की जाती है। आरोपों में संयुक्त आयुक्त सहकारिता,सरगुजा संभाग और जिला स्तर के उप पंजीयक कार्यालय के अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग भी शामिल है, हालांकि,13 अक्टूबर 2026 का बड़गांव समिति संबंधी आदेश अपने आप में किसी आर्थिक लेन-देन या रिश्तदारों को प्रमाणित नहीं करता, ऐसे आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित कर्मचारियों के बयान,भुगतान के प्रमाण,बैंक लेन-देन,संदेश,नियुक्ति या पदस्थापना से जुड़े अभिलेख और स्वतंत्र जांच आवश्यक होगी, यदि किसी व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो उनकी जांच सक्षम एजेंसी से कराई जानी चाहिए। विभाग को भी स्पष्ट करना चाहिए कि पदस्थापना और अतिरिक्त प्रभार देने के लिए क्या कोई निर्धारित प्रक्रिया है तथा उसका पालन किस प्रकार किया गया।

विभाग से उठते हैं ये सीधे सवाल—बड़गांव समिति में प्रदीप कुमार को अस्थायी रूप से प्रबंधकीय कार्य सौंपने का प्रस्ताव किस स्तर से आया और चयन का आधार क्या था? जामपारा समिति में पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सूची, पद और सेवा स्थिति की समीक्षा की गई या नहीं? यदि समीक्षा की गई, तो उसका प्रतिवेदन कहाँ है? कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंपे गए प्रबंधकीय कार्यों की सीमा क्या है और क्या उन्हें वित्तीय या अन्य प्रशासनिक अधिकार भी दिए गए हैं? यह व्यवस्था कितने समय तक

प्रभावी रहेगी? नई समिति में नियमित प्रबंधकीय व्यवस्था बनाने के लिए विभाग की आगे की योजना क्या है? इसके अतिरिक्त,संभाग में हाल के वर्षों में गठित अन्य समितियों में भी क्या इसी प्रकार दूसरी समितियों के कर्मचारियों को अस्थायी प्रभार दिया गया है? यदि हां,तो क्या सभी मामलों में समान नियम और मानक अपनाए गए? कथित वसूली के आरोपों के संबंध में विभाग के पास कोई शिकायत पहुंची है या नहीं,और यदि पहुंची है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? इन सवालों का उत्तर आदेश जारी करने वाले कार्यालय और संबंधित उच्च अधिकारियों से अपेक्षित है।

व्यवस्था पारदर्शी होगी, तभी भरोसा मजबूत होगा

सहकारी समितियां किसानों की आर्थिक गतिविधियों से सीधे जुड़ी संस्थाएं हैं,उनके गठन, कर्मचारियों की पदस्थापना और प्रबंधकीय कामकाज में स्पष्टता न केवल प्रशासनिक जरूरत है,बल्कि किसानों और समिति सदस्यों के विश्वास के लिए भी आवश्यक है,बड़गांव समिति का मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जारी आदेश एक दूसरी समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर को नई समिति में अस्थायी प्रबंधकीय कार्य सौंपने की पुष्टि करता है,जबकि पुरानी समिति के कर्मचारियों की स्थिति और चयन के आधार पर आदेश में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है,यह अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं,लेकिन विभागीय पारदर्शिता की जांच के लिए पर्याप्त प्रश्न जरूर खड़े करता है, अब देखना यह है कि सहकारिता विभाग इस अस्थायी व्यवस्था के पीछे की प्रशासनिक जरूरत,कर्मचारियों के समायोजन की स्थिति और कथित वसूली के आरोपों पर स्पष्ट जानकारी सामने लाता है या नहीं, किसानों से जुड़ी संस्थाओं में व्यवस्था का आधार नियम और पारदर्शिता होना चाहिए—ऐसी प्रक्रिया नहीं, जिस पर हर नए आदेश के साथ नए सवाल खड़े हों।

ट्रेक्टर पलटने से दबकर मौत मृतक के विरुद्ध केस दर्ज

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 15 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

कोतवाली थाना क्षेत्र के कंचनपुर पुलिस के पास बीते 11 अक्टूबर को हुए सड़क दुर्घटना में 30 वर्षीय युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मृतक के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, मृतक बिनु राम अगरिया पिता सभा राम अगरिया,निवासी ग्राम रूपपुर 11 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे अपने बिना नंबर के महिंद्रा ट्रैक्टर में सेंट्रिंग का सामान,चैनल लोड करके ग्राम रूपपुर से परसा जा रहा था,उसके साथ सदीप बराहा भी था। कंचनपुर पुल के पास घाट में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत पर ही मौत हो गई,जबकि साथ में बैठा सदीप ट्रैक्टर से कुदकर बच गया था। घटना की सूचना स्वजन ने कोतवाली थाना अम्बिकापुर में दी थी। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करके शव का पंचनामा किया। मर्ग जांच दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान में सामने आए तथ्य के आधार पर मृत ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

जंगली सूअरों से फसल बचाने बिछाए करंट की चपेट में आए युवक की मौत

—संवाददाता—
अम्बिकापुर, 15 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

लखनपुर थाना क्षेत्र के कुन्नी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम रेहला और लबूनी के बीच स्थित झिलमिली जंगल में जंगली सूअरों से फसल बचाने के लिए खेत में बिछाए गए करंट की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जुगेश्वर पिता शंकर पावले 25 वर्ष खेत के पास से गुजर रहा था, तभी जंगली सूअरों से फसल बचाने के लिए बिछाए गए अवैध विद्युत तार की चपेट में आ गया और मौत पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की।

सड़क सुरक्षा रैली में खुद हेलमेट पहनकर उतरे मंत्री-विधायक,आगे-आगे तीनों जनप्रतिनिधि,पीछे चल रही थी जागरूकता रैली महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी स्कूटी पर हेलमेट लगाकर निकलीं,स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी और विधायक भूलन सिंह बुलेट पर सवार होकर कर रहे थे रैली का नेतृत्व

—संवाददाता—
सूरजपुर 15 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सड़क सुरक्षा का संदेश केवल भाषणों, नाराओं और जागरूकता अभियानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपने व्यवहार में उतारना भी जरूरी है, सूरजपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई रैली में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी इसी संदेश को सामने लाती नजर आई, रैली में प्रदेश के दो मंत्री और एक विधायक सबसे आगे दिखाई दिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े स्कूटी पर हेलमेट लगाकर चल रही थीं,वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बुलेट चलाते नजर आए,प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी भी बुलेट पर सवार होकर रैली में शामिल हुए,तीनों जनप्रतिनिधि आगे-आगे चल रहे थे और उनके पीछे सड़क सुरक्षा सप्ताह की रैली आगे बढ़ रही थी।

इस दृश्य में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा था—जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि खुद सड़क पर उत्तरकर अभियान का नेतृत्व करते हैं, तो आम लोगों तक नियमों के पालन का संदेश अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकता है, विशेषकर दोपहिया वाहन



चालकों के लिए हेलमेट का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में मंत्री और विधायक की रैली में भागीदारी के साथ सड़क सुरक्षा नियमों का पालन चर्चा का विषय बना।

आगे-आगे मंत्री और विधायक, पीछे जागरूकता रैली—सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित रैली में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने आगे रहकर रैली का नेतृत्व किया, लक्ष्मी राजवाड़े स्कूटी पर हेलमेट पहनकर चलती नजर आईं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बुलेट पर सवार थे, विधायक भूलन सिंह मरावी भी बुलेट पर उनके साथ रैली में शामिल रहे,तीनों जनप्रतिनिधियों के आगे

चलने और पीछे रैली के आगे बढ़ने से यह आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं,बल्कि सड़क सुरक्षा का संदेश जनसामान्य तक पहुंचाने का प्रयास बना, रैली का उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित वाहन संचालन की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना था।

हेलमेट का संदेश,व्यवहार से बढ़ती है जागरूकता—दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना सड़क सुरक्षा का अहम हिस्सा है,दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट सिर को गंभीर चोट से बचाने में मददगार भूमिका निभा सकता है,यही कारण है कि यातायात जागरूकता अभियानों में हेलमेट के उपयोग पर विशेष

जोर दिया जाता है,जब कोई जनप्रतिनिधि खुद हेलमेट पहनकर रैली में शामिल होता है,तो उसका व्यवहार लोगों के लिए उदाहरण बन सकता है,महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का हेलमेट पहनकर स्कूटी चालना इसी दृष्टि से एक सकारात्मक संदेश देता है, वहीं,स्वास्थ्य मंत्री और विधायक की बुलेट पर रैली में भागीदारी ने अभियान को प्रमुखता दी, सड़क सुरक्षा का उद्देश्य केवल चालान या दंड के डर से नियमों का पालन कराना नहीं है, बल्कि नागरिकों में अपनी और दूसरों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना भी है,इसके लिए जरूरी है कि जागरूकता अभियान में शामिल लोग अपने आचरण से भी वही संदेश दें,जैसे वे आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं।

सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता—सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन,हेलमेट का उपयोग, नियंत्रित गति और जिम्मेदारी से वाहन चालना महत्वपूर्ण है,सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे अभियान नागरिकों को इन बातों की याद दिलाने और सुरक्षित यातायात व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं,ऐसे आयोजनों में

जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से अभियान को व्यापक पहचान मिल सकती है, लेकिन जागरूकता का वास्तविक असर तभी दिखाई देगा,जब वाहन चालक रोजमर्रा की ज़िंदगी में भी सुरक्षा नियमों का पालन करें, हेलमेट पहनना, यातायात संकेतों का सम्मान करना और सड़क पर दूसरे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना प्रत्येक चालक की जिम्मेदारी है।

संदेश तभी असरदार,जब सड़क पर भी दिखे अनुशासन—सूरजपुर की सड़क सुरक्षा रैली में दो मंत्रियों और एक विधायक का आगे रहकर नेतृत्व करना अभियान के लिए महत्वपूर्ण दृश्य रहा, महिला एवं बाल विकास मंत्री का हेलमेट पहनकर स्कूटी चालना और स्वास्थ्य मंत्री व विधायक का बुलेट पर रैली में शामिल होना कार्यक्रम के प्रमुख दृश्य रहे, सड़क सुरक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है,उनकी भागीदारी लोगों को जागरूक करने का माध्यम बन सकती है,लेकिन इस अभियान की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि आम नागरिक कितनी गंभीरता से यातायात नियमों को अपनाने हैं,सड़क सुरक्षा का सबसे प्रभावी संदेश वही है।



आंदोलन की भीड़ नहीं, न्यायालय का फैसला अंतिम है आईसी मार्ट प्रकरण ने समाज को क्या सिखाया?

गिरफ्तारी हुई,तीन महीने जेल भी...अब हाईकोर्ट की टिप्पणी ने जांच के सवाल फिर सामने रखे

आरोप साबित होने से पहले फांसी की मांग करने वालों को समझना होगा कानून का अर्थ,हाईकोर्ट का जमानत आदेश दोषमुक्ति नहीं, लेकिन जांच और न्याय प्रक्रिया पर आत्ममंथन का अवसर जरूर

कानून की कसौटी पर आईसी मार्ट प्रकरण: हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की विवेचना पर जवाबदेही का सवाल

आईसी मार्ट केस में जमानत से आगे की कहानी-तीन महीने की हिरासत और जांच के सवालों का जवाब कौन देगा?

नाबालिग की मौत,गंभीर आरोप और पुलिस की कार्रवाई,हाईकोर्ट के आदेश ने फिर खड़े किए अहम सवाल

-रवि सिंह-
कोरिया, 15 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

आईसी मार्ट प्रकरण केवल एक नाबालिग की दुखद मृत्यु, आरोपियों की गिरफ्तारी और जमानत तक सीमित मामला नहीं रह गया है,इस प्रकरण ने समाज,पुलिस,आंदोलनों और न्याय व्यवस्था के सामने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं,जिन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, घटना के बाद आक्रोश सामने आया,प्रदर्शन हुए, न्याय की मांग उठी और आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की मांग भी की गई,लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बुनियादी सवाल कहीं पीछे छूटता दिखाई दिया...क्या किसी व्यक्ति को अदालत में दोषी साबित होने से पहले ही अपराधी मान लेना उचित है?

पूजा पैकरा की मृत्यु दुःखद है,उसके परिवार की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,घटना की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन न्याय की मांग और किसी को पहले ही दोषी घोषित कर देना दो अलग बातें हैं, न्याय के लिए आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है,मगर आरोपों की जांच और न्यायालय के निर्णय से पहले किसी के लिए फंसी की मांग करना उस सिद्धांत के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है,जिसके आधार पर हमारी न्याय व्यवस्था चलती है।

आक्रोश अपनी जगह,लेकिन कानून का रास्ता अपनी जगह

आईसी मार्ट प्रकरण में अलग-अलग स्तर पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए,लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया,कठोर कार्रवाई की मांग की और मामले को लेकर सार्वजनिक दबाव भी बनाया, किसी संवेदनशील घटना के बाद समाज में आक्रोश पैदा होना अस्वाभाविक नहीं है,जब किसी नाबालिग की मृत्यु होती है,तो लोगों का

भावुक होना स्वाभाविक है,लेकिन सवाल यह है कि क्या भावनाओं के उस उपन में मामले के सभी पहलुओं को समझने का धैर्य भी बना रहा? किसी घटना की पहली जानकारी, एक पक्ष के आरोप, सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेश और सार्वजनिक मंचों से लगाए गए नारे-ये सभी अपने आप में अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं होते, किसी भी मामले में वास्तविक घटनाक्रम क्या था, किसकी क्या भूमिका थी,आरोपों के समर्थन में कौन-से साक्ष्य हैं और कानून के तहत अपराध के आवश्यक तत्व पूरे होते हैं या नहीं-इन प्रश्नों का उत्तर जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही निकलना चाहिए,आंदोलन का उद्देश्य न्याय की मांग करना हो सकता है,लेकिन आंदोलन की तीव्रता अपने आप में किसी आरोप की सत्यता का प्रमाण नहीं बन सकती,भीड़ का आक्रोश न तो साक्ष्य का स्थान ले सकता है और न ही न्यायालय की भूमिका निभा सकता है।

जब फैसला अदालत को करना है,तो फैसला पहले ही क्यों सुना दिया गया?

इस प्रकरण में आरोपियों को कठोरतम सजा देने की मांगों के बीच यह विचार करना जरूरी है कि फंसी जैसी सजा की मांग किस आधार पर की जा रही थी,जबकि मामले की न्यायिक प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी,किसी आरोपी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगना और उसका दोष सिद्ध होना अलग-अलग अवस्थाएं हैं,गिरफ्तारी का अर्थ दोषसिद्धि नहीं है,पुलिस की ओर से आरोप पत्र प्रस्तुत करना भी अपने आप में अंतिम फैसला नहीं होता, अदालत साक्ष्यों, गवाहों,कानूनी प्रावधानों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करके निर्णय देती है,यदि न्यायालय में सुनवाई से पहले ही सार्वजनिक मंचों पर किसी व्यक्ति को दोषी मानकर उसके लिए अंतिम सजा की मांग की जाने लगे,तो विचाराणीय प्रश्न उठता है कि क्या हम न्याय की मांग कर रहे हैं या न्याय का परिणाम पहले से तय करना चाहते हैं? यह प्रश्न आंदोलनों के विरोध में नहीं,बल्कि आंदोलनों की जिम्मेदारी के पक्ष में है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि विरोध कानून के शासन और निष्पक्ष न्याय की बुनियादी मर्यादों का सम्मान करे।

14 अक्टूबर का हाईकोर्ट आदेश: जमानत मिली, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए

14 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईसी मार्ट प्रकरण में विनोद कुमार बैद को निर्णमित जमानत और जगत कुमार बैद तथा दीपक कुमार बैद को अग्रिम जमानत का लाभ दिया, विनोद बैद 11 जुलाई से हिरासत में थे,इस आदेश में अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 के तहत दुष्प्रेरण के कानूनी तत्वों पर विचार किया,हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी थी कि केवल चोरी के आरोप में पूछताछ करना, कागज पर लिखवाना और माता-पिता को बुलाना अपने आप में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध नहीं बनता, अदालत ने सक्रिय उकसावे, जानबूझकर सहयता अथवा षड्यंत्र और आत्महत्या के बीच आवश्यक कानूनी संबंध के महत्व पर चर्चा की,इस टिप्पणी का अर्थ समझना आवश्यक है,अदालत ने जमानत दी है, उसने इस आदेश से मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं



पुलिस के लिए भी संदेश-कार्रवाई ऐसी हो,जिस पर न्यायालय में सवाल न उठें

इस प्रकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष पुलिस की जवाबदेही है,पुलिस का काम केवल लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए गिरफ्तारी करना नहीं है, उसका दायित्व घटना की निष्पक्ष जांच करना,साक्ष्य सुरक्षित रखना,प्रत्येक पक्ष से जुड़े तथ्यों को परखना और कानून के अनुरूप कार्रवाई करना है,अमरस में हुई पूर्व न्यायिक कार्यवाही के उपरब्ध विवरण में पुलिस की प्रेस वृत्ति, फारी पंचनामा,गिरफ्तारी के प्रयासों और सीसीटीवी डीवीआर की एफएसएल जांच जैसे मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने की बात सामने आई थी,इन मुद्दों को उनके संबंधित आदेशों और रिकॉर्ड के आधार पर ही समझा जाना चाहिए,केवल सवाल पूछे जाने से पुलिस की गलती अंतिम रूप से सिद्ध नहीं हो जाती,लेकिन ऐसे सवाल जांच प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता जरूर सामने लाते हैं,यदि जांच में कोई कमी है, तो उसकी पहचान होनी चाहिए,यदि किसी कार्रवाई के पीछे पर्याप्त साक्ष्य और कानूनी आधार है, तो उसे स्पष्ट रूप से सामने रखा जाना चाहिए,पुलिस को यह समझना होगा कि जल्दबाजी में की गई कार्रवाई या अपर्याप्त रूप से परखे गए आरोप किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, जांच की विश्वसनीयता और न्यायिक प्रक्रिया-तीनों को प्रभावित कर सकते हैं,किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से दंडित होने से बचना और किसी वास्तविक अपराध के दोषी को कानून के अनुसार सजा दिलाना,दोनों ही पुलिस और न्याय व्यवस्था के दायित्व हैं, इनमें से किसी एक की अनदेखी को न्याय नहीं कहा जा सकता।

सुनाया,आरोपियों को दोषमुक्त घोषित करना और जमानत देना दो अलग बातें हैं। आगे मुकदमे में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय होना बाकी है, लेकिन यह आदेश इतना अवश्य बताता है कि गंभीर आरोपों में भी कानून के आवश्यक तत्वों की जांच करना जरूरी है, केवल घटना की गंभीरता या समाज में व्याप्त आक्रोश के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध की कानूनी जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती, यही न्याय व्यवस्था की विशेषता है-वह भावनाओं से प्रभावित हुए बिना कानून और साक्ष्य के आधार पर निर्णय करने का प्रयास करती है।

दैनिक घटती घटना के सवाल और समाज के लिए सबक

दैनिक घटती घटना ने इस प्रकरण में पहले भी पुलिस की कार्यप्रणाली और मामले के घटनाक्रम से जुड़े सवालों को अपनी खबरों के माध्यम से उठाया था, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच की दिशा और आरोपों

न्यायालय पर भरोसा केवल शब्द नहीं व्यवहार में भी दिखना चाहिए

हम अक्सर कहते हैं कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन इस भरोसे की वास्तविक परीक्षा तब होती है,जब कोई घटना हमें भावनात्मक रूप से विचलित करती है और हम तत्काल किसी को दोषी मान लेने लगते हैं, न्यायालय पर भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि किसी घटना पर सवाल न उठाए जाएं या पुलिस की कार्रवाई की आलोचना न हो,इसका अर्थ यह है कि सवाल तथ्यों के आधार पर उठाए जाएं, जांच की मांग निष्पक्षता के साथ की जाए और अंतिम दोषसिद्धि का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पर छोड़ा जाए,यदि किसी मामले में न्यायालय जमानत देता है,तो उससे असहमति रखने वाले लोग भी कानून के दायरे में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जमानत को अंतिम दोषमुक्ति मान लेना जितना गलत है, उतना ही गलत यह मान लेना भी है कि गिरफ्तारी होते ही आरोपी का अपराध सिद्ध हो गया, न्याय का रास्दा अक्सर लंबा होता है। इस रास्ते पर धैर्य,साक्ष्य,कानून और निष्पक्षता की जरूरत होती है,भक्तान्न न्याय की मांग पैदा कर सकती है, लेकिन न्याय का अंतिम आधार भावनाएं नहीं,कानून और प्रमाण होने चाहिए।

आईसी मार्ट प्रकरण का बड़ा सवाल : हम न्याय चाहते हैं या केवल त्वरित दंड

आईसी मार्ट प्रकरण समाज के सामने एक कठिन लेकिन जरूरी सवाल खड़े करता है,क्या हम हर संवेदनशील घटना में सभी तथ्यों को समझने और जांच पूरी होने की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं? या हम घटनाओं के शुरूआती विवरण और सार्वजनिक आक्रोश के आधार पर ही दोषी तय कर देना चाहते हैं? पूजा पैकरा की मृत्यु का सच सामने आना चाहिए। उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए,यदि किसी व्यक्ति का अपराध साक्ष्यों से सिद्ध होता है,तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए, लेकिन किसी भी आरोपी के साथ अन्याय न हो, यह भी उतना ही जरूरी है,न्याय के इन दोनों पक्षों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना उचित नहीं है,हाईकोर्ट का 14 अक्टूबर का आदेश दोषमुक्ति नहीं है,लेकिन यह एक महत्वपूर्ण अवसर जरूर है-पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया की समीक्षा करे, अभियोजन आरोपों के कानूनी आधार को मजबूती से स्थापित करे,समाज आरोप और दोषसिद्धि के बीच अंतर समझे और आंदोलन करने वाले लोग भी यह विचार करें कि न्याय की मांग करते समय कानून की मर्यादा का सम्मान कैसे किया जाए, क्योंकि न्याय केवल दोषी को सजा दिलाने का नाम नहीं है, न्याय यह सुनिश्चित करने का नाम भी है कि किसी व्यक्ति को बिना विधिसम्मत प्रक्रिया के दोषी न ठहरा दिया जाए,आईसी मार्ट प्रकरण में अंतिम फैसला अभी बाकी है, इसलिए सबसे जिम्मेदार रास्ता यही है कि न तो आरोपियों को अभी से दोषमुक्त माना जाए और न ही उन्हें अंतिम रूप से दोषी घोषित किया जाए,न्यायव्यवस्था की प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए तथ्यों को सामने आने दिया जाए,यही स्वीधान की भावना है,यही कानून के शासन का आधार है और यही किसी भी सभ्य समाज की अस्सी परीक्षा है।

वीर शहीद सीताराम कंवर की 168वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि,रक्तदान शिविर में 20 यूनिट रक्तदान

कसैटी बी पंचायत भवन में श्रद्धांजलि सभा,विशाल रक्तदान शिविर एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

सूरजपुर 15 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। वीर शहीद सीताराम कंवर की 168वीं शहादत दिवस पर कंवर समाज कल्याण समिति सूरजपुर द्वारा 11 अक्टूबर 2026 को ग्राम कसैटी बी के पंचायत भवन में श्रद्धांजलि सभा, रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम में समाज के लोगों ने वीर शहीद सीताराम कंवर के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर

कंवर समाज कल्याण समिति सूरजपुर की पहल,300 से अधिक मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर वितरित की गई दवाएं...

पुर्णोजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान सामाजिक एकता, सेवा भावना और जरूरतमंदों की सहायता का संदेश दिया गया, अतिथियों ने समाज के लोगों से शहीद के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा सामाजिक नियमावली का पालन करने की अपील की,वहीं,समाज के मुखियाओं ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, आयोजन में रक्तदान और स्वास्थ्य सेवा को विशेष महत्व दिया गया।
20 यूनिट रक्तदान,आठ वर्षों



से जारी सेवा अभियान कंवर समाज कल्याण समिति की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया,



जिसमें समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कुल 20 यूनिट रक्तदान किया,समिति के अनुसार,पिछले आठ वर्षों से लगातार जरूरतमंद मरीजों की सहायता

चुका है,रक्तदान को जरूरतमंद मरीजों की सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए समाज के लोगों ने इस सेवा परंपरा को आगे भी जारी रखने की प्रतिबद्धता दिखाई, रक्तदान करने वाले सभी दानदाताओं के योगदान की सराहना की गई।

300 से अधिक मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 300 से अधिक मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें आवश्यकतानुसार दवाओं का वितरण किया, इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों

को स्वास्थ्य जांच और उपचार संबंधी सलाह प्राप्त करने का अवसर मिला, स्वास्थ्य शिविर में डॉ. राजेश पैकरा, डॉ. यशोदा मिर्धा, डॉ. त्रिषि पांडेय और डॉ. उज्ज्वल पाण्डेय सहित स्वास्थ्य विभाग के सदस्यों ने सेवाएं दीं, फर्मासिस्ट विनोद सिंह, स्टाफ नर्स गीतांजलि पैकरा, लैब टेक्नीशियन इंद्रभान सिंह तथा जय सिंह, कुलदीप सिंह, अशोक कुमार सिंह और विमला राजवाड़े सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने भी सहयोग किया, समाज की ओर से स्वास्थ्य विभाग की टीम और रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

शपथकर्ता
आसानी

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाला...टामन सिंह सोनवानी की जमानत पर फैसला सुरक्षित

नेता-रसूखदारों के साथ रिश्तेदारों का कराया सिलेक्शन,गड़बड़ी के आरोप में जेल में बंद हैं आरोपी अफसर

बिलासपुर,15 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग) के भर्ती घोटाले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और सीबीआई ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला बाद में सुनाने का निर्णय लिया। यह मामला 2020 से 2022 के बीच हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पद का दुरुपयोग किया गया, रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया और रिश्तखोरी हुई। सीबीआई की जांच के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर प्रभाव का



इस्तेमाल कर कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया गया। जांच एजेंसी का आरोप है कि टामन सिंह सोनवानी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदारों और एक कारोबारी के परिजनों के चयन में

मदद की। इस मामले में परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने और इसके बदले पैसे लेने के आरोप भी लगे हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।

पद के दुरुपयोग और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप

दरअसल,सीजी-पीएससी की 2020-2021 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी। भाजपा के सीनियर लीडर ननकराम कंवर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई थी। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी हाईकोर्ट को दी थी। जिसमें नेता, अधिकारी और रसूखदार कारोबारियों के रिश्तेदारों का सिलेक्शन किया गया।

45 लाख रुपए की रिश्त का आरोप

सीबीआई ने 18 नवंबर 2024 को पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में बजरंग पावर एंड इस्पॉर लिमिटेड के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का आरोप है कि श्रवण कुमार गोयल ने अपने बेटे शशांक गोयल और बहु भूमिका कटियार को डिटी कलेक्टर बनवाने के लिए 45 लाख रुपए दिए थे। जांच एजेंसी के मुताबिक, यह रकम ग्रामीण विकास समिति के जरिए दो किस्तों में दी गई थी। सीबीआई का कहना है कि सोनवानी के परिजन इस समिति से जुड़े हुए थे।

छत्तीसगढ़ में स्कूलों की दिवाली छुट्टी एक दिन बढ़ी अब 11 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल,पहले 6 से 10 नवंबर तक घोषित था अवकाश

रायपुर,15 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में स्कूलों बच्चों के लिए राज्य सरकार ने दीपावली की छुट्टी एक दिन बढ़ा दी है। अब प्रदेश के स्कूल 10 नवंबर की जगह 11 नवंबर तक बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की है। दीपावली की छुट्टी एक दिन बढ़ाने की मांग की जा रही थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि, लगातार मिल रही मांग को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने दीपावली पर 6 नवंबर से 10 नवंबर तक पांच दिन का अवकाश घोषित किया था। अब इसे बढ़ाकर 11 नवंबर तक कर दिया गया है।

पहले से घोषित थे 15 दिन के अवकाश

स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र के लिए दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश का



- कब-कब रहेंगी स्कूलों में छुट्टियां?**
- दशहरा अवकाश : 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक
 - दीपावली अवकाश : 6 नवंबर से 11 नवंबर तक
 - शीतकालीन अवकाश : 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक
- कैलेंडर जारी किया था। इसके तहत तीनों अवसरों पर कुल 15 दिन की छुट्टियां घोषित की गई थीं।

अब दीपावली की छुट्टी एक दिन बढ़ने से कुल घोषित अवकाश की अवधि 16 दिन हो जाएगी।

शाह ने दत्तेवाड़ा में नक्सल पीड़ितों से वर्चुअली बातचीत की अमित शाह बोले...केवल नक्सलवाद खत्म करना पर्याप्त नहीं,दर्द दूर करना सरकार की जिम्मेदारी

दत्तेवाड़ा, 15 अक्टूबर 2026। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के दत्तेवाड़ा में दिव्यांग सहायक उपकरण शिविर का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि, केवल नक्सलवाद खत्म करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हिंसा से प्रभावित लोगों के दर्द को दूर करना और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र के वादे को दोहराते हुए शाह ने कहा कि,प्रधानमंत्री ने इस खतरे को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी। पीएम मोदी ने संकल्प लिया था कि हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। मुझे खुशी है कि आज नक्सलवाद खत्म हो गया है। बता दें कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 15 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस शिविर में दत्तेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के 768 दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। इनमें दत्तेवाड़ा के 509, बीजापुर के 197 और सुकमा के 62 लोग शामिल हैं। अमित शाह ने कहा कि, नक्सल हिंसा में कई लोगों ने अपने हाथ-पैर गंवाए, जबकि कुछ को देखने और सुनने की क्षमता प्रभावित हुई। ऐसे सभी लोगों तक मदद पहुंचाकर उनका पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, सरकार ऐसा बस्तर बनाना चाहती है, जहां बच्चे भयमुक्त हों, युवाओं के पास हुनर हो और परिवार खुशहाल हों। जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक आयोजित शिविर में 3,600 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए थे। इनमें बस्तर के 1,570 से ज्यादा लोग शामिल थे। गृहमंत्री ने बताया कि बस्तर में 200 से अधिक सुरक्षा शिविरों को 'शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा' के रूप में विकसित करने की योजना है।

छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,आरक्षण रोस्टर रद्द

बिलासपुर,15 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती से जुड़े आरक्षण नियमों पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 में जारी 12,489 शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन और उससे जुड़े आरक्षण रोस्टर को निरस्त कर दिया है। यह मामला आरक्षण की निर्धारित सीमा को लेकर उठाई गई कानूनी चुनौती से जुड़ा है। राज्य सरकार ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के माध्यम से संचालित की गई थी। इसके लिए 29 नवंबर 2012 की आरक्षण अधिसूचना के आधार पर मॉडल रोस्टर तैयार किया गया था। भर्ती में लागू आरक्षण व्यवस्था को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उनका विरोध आरक्षण की कुल सीमा 60 प्रतिशत से अधिक होने के आधार पर था। याचिका में भर्ती के लिए निर्धारित रोस्टर की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संबंधित रोस्टर को निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं मानी जाएगी और पहले से नियुक्त शिक्षकों को तत्काल नौकरी से नहीं हटया जाएगा। उनकी नियुक्तियों तथा भविष्य की पदोन्नति से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण के निर्णय का असर रहेगा।

रायपुर,15 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के केंद्र में हमारे अनन्यदाता हैं। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि सुशासन और जनसेवा के माध्यम से विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और छत्तीसगढ़ का प्रत्येक परिवार प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बने। मुख्यमंत्री साय ने आज रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आयोजित कोलता समाज के नुआखाई भेंटघाट एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री साय का समाजजनों ने पारंपरिक गजमाला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने माँ रोश्वरी रामचण्डी की विधि-विधान से



पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम कोतरलिया के चंडी डोंगरी में सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए तथा नगर पंचायत पुसौर में कोलता समाज के मंगल भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने बाउंड्रीवॉल निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोलता समाज सहित सभी प्रदेशवासियों को नुआखाई पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नुआखाई हमारी समृद्ध कृषि

संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। यह नई फसल के स्वागत, अनन्यदाता के परिश्रम के स्मरण और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का उत्सव है। ऐसे पर्व हमारी परंपराओं को जीवंत रखने के साथ नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारी सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिले, खेती की लागत कम हो, सिंचाई की सुविधा बढ़े और कृषि के माध्यम से परिवारों में समृद्धि आए। इसी सोच के साथ सरकार लगातार

काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगढ़ अंचल के किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए केलो परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से खेती की उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास को नई गति देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की नई परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। सरकार का प्रयास है कि अधोसंरचना के विकास का सीधा लाभ आम नागरिकों,किसानों, युवाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर के सपने को तेजी से साकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन लगभग 1,600 आवासों का निर्माण हो रहा है।

सड़क हादसे में बीजेपी विधायक के भाई समेत 3 मौतें मॉर्निंग वॉक पर अज्ञात वाहन ने रौंदा,बलौदाबाजार में 3 भाइयों ने तोड़ा दम...

मुंगेली/बलौदाबाजार, 15 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हुई है। मुंगेली जिले में गुरुवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे में विधायक पुन्नुलाल मोहले के भाई अधीन मोहले समेत तीनों लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं, बुधवार रात बलौदाबाजार जिले में रायपुर-पलारी मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 3 लड़कों की मौत हो गई। घोटिया मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी थी। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनमें से प्रेम धीवर (18) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं, गंभीर हालत में रायपुर रेफर किए गए राज धीवर (18) और खिलेश्वर



धीवर (18) ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीनों युवक मौसरे भाई थे और नवरात्रि के मौके पर पलारी आ रहे थे। **केस 1 - तीन लोगों को अज्ञात वाहन ने रौंदा :** मुंगेली जिले के जरहगांव

थाना क्षेत्र के दशरंगपुर गांव में गुरुवार सुबह एक सड़क हादसा हुआ। यहाँ मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन लोगों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में विधायक पुन्नुलाल मोहले के भाई अधीन मोहले

(18) ने इसी गांव के अपने मौसरे भाइयों राज धीवर (18) और पलारी के खिलेश्वर धीवर (18) के साथ पलारी जाने का प्लान बनाया।

केस 2 - तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रक में घुसी : जानकारी के मुताबिक, कोरासी गांव के रहने वाले प्रेम धीवर

राशन के दामों में बढ़ोतरी पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कसा तंज,कहा...महतारी वंदन में दिया पैसा वसूल रही है सरकार...

रायपुर,15 अक्टूबर 2026। लगातार बढ़ती महंगाई पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सप्ताह के पहले दिन से चावल,दाल,राशन सामग्री पर सरकार ने दाम बढ़ाए। पेट्रोल-डीजल महंगे हुए। आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। आम-जनता के लिए यात्री बस किराए बढ़ाया गया। एक साल में दो बार 75 प्रतिशत से अधिक किराया बढ़ाया गया। महतारी वंदन के नाम से पैसा देकर आम जनता से सरकार पैसा वसूलने का काम कर रही है। धान खरीदी से पहले पटवारियों की हड़ताल पर दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में नवंबर महीने से धान खरीदी होना है। पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार को तत्काल बात कर हड़ताल को खत्म करना चाहिए। यह पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। इसके कारण कई किसान धान नहीं बेच पाए थे। सरकार जानबूझ कर ऐसा कर रही है, ताकि धान खरीदना ना पड़े। कौशल्या माता धाम में भगवान राम की अब तक



नई मूर्ति नहीं लगाने पर दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि राम मंदिर के नाम से मंदिर बना लो। मंदिर में चढ़ावा चोरी कर लो। गौ माता के नाम से चारा खा लो। सरकार में यही चल रहा है। 15 साल भी यही चल रहा था। भगवान राम के नाम से यह चढ़ा चोरी करने वाले है। उन्होंने कहा कि भगवान राम और कौशल्या माता की चिंता क्या करोगे। मूर्ति तैयार है, अभी तक मूर्ति क्यों नहीं लग रहे हैं। इनको जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार में मूर्ति बदलने का निर्णय हुआ था, हमारी सरकार में मूर्ति तैयार की गई है। कोई मूर्ति गलत नहीं है। यह मूर्ति नहीं लगाना चाहते हैं। यह राम के नाम के राजनीति करते हैं।